



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102026-276758
CG-DL-E-03102026-276758

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5151]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2026/आश्विन 7, 1948

No. 5151]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2026/ASVINA 7, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026

का.आ. 5358(अ).— केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उप-धारा (3) एवं धारा 110 की उप-धारा (3)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से बारह माह की अवधि के लिए टीजी स्टेटर को मल्टी हाइड्रोलिक सस्पेंशन एक्सल पर बीएचईएल-हरिद्वार, उत्तराखंड से रायगढ़ टीटीपी परियोजना स्थल, छत्तीसगढ़ तक सड़क मार्ग से परिवहन हेतु इसके साथ संलग्न अनुसूची में यथा उल्लिखित अधिकतम सुरक्षित लदान भार/सकल भार और आकार के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- प्रिज्म लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, उपरोक्त परिवहन के लिए एक टीजी स्टेटर के परिवहन हेतु मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।
- उपरोक्त माल प्रेषण के आवाजाही में निम्नलिखित प्रमुख मूवर्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	प्राइम मूवर्स की पंजीकरण संख्या	मेक
1	जीजे-12-एयू-9693	वोल्वो (एचपी 520)

2	जीजे-12-एयू-9639	वोल्वो (एचपी 520)
3	जीजे-27टीएफ-2450	वोल्वो (एचपी 520)
4	जीजे-16एडब्ल्यू-4181	वोल्वो (एचपी 520)
5	जीजे-16एडब्ल्यू-4472	वोल्वो (एचपी 520)
6	जीजे-16एडब्ल्यू-4245	वोल्वो (एचपी 520)
7	जीजे-27टीएफ-8192	वोल्वो (एचपी 500)

3. निम्नलिखित स्वतंत्र रूप से पंजीकृत मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों का उपयोग उपरोक्त आवाजाही में किया जाएगा:-

क्र.सं.	ट्रेलरों की पंजीकरण संख्या	मेक	ट्रेलरों में धुरों की संख्या	ट्रेलरों के आरसी में स्वीकृत /उल्लिखित सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) (टन में)
1.	एपी-31टीबी-6592	गोल्डहोफर	4	104
2.	एपी-31टीबी-6593	गोल्डहोफर	4	104
3.	एपी-31टीबी-6594	गोल्डहोफर	4	104
4.	एपी-31टीबी-6595	गोल्डहोफर	6	156
5.	एपी-31टीबी-6596	गोल्डहोफर	6	156
6.	जीजे-12एयू-8365	गोल्डहोफर	6	156
7.	जीजे-12एयू-8368	गोल्डहोफर	6	156
8.	जीजे-12एयू-8364	गोल्डहोफर	4	104
9.	जीजे-12एयू-8367	गोल्डहोफर	4	104
10.	एचआर-39ई-1549	टी II	6	156
11।	एचआर-39ई-2045	टी II	6	156
12.	एचआर-39ई-5668	टी II	6	156
13.	एचआर-39ई-6308	टी II	6	156
14.	एचआर-39ई 8059	टी II	6	156
15.	एचआर-39ई-8531	टी II	6	156
16.	एचआर-39ई-0510	टी II	4	104
17.	एचआर-39ई-7623	टी II	4	104

18.	एचआर-39ई-5748	टी II	4	104
19.	एचआर-39ई-5643	टी II	2	52
20.	एमएच-06-एक्यू-8551	गोल्डहोफर	6	156
21.	एमएच-06-एक्यू-8552	गोल्डहोफर	6	156
22.	एमएच-06-एक्यू-8553	गोल्डहोफर	4	104
23.	एमएच-06-एक्यू-8554	गोल्डहोफर	4	104
24.	एमएच-46एच-0601	गोल्डहोफर	4	104
25.	एमएच-46एच-0602	गोल्डहोफर	4	104
26.	एमएच-46-एच-0603	गोल्डहोफर	8	208
27.	एमएच-46-बीएम-2839	गोल्डहोफर	6	156
28.	एमएच-46-बीएम-2840	गोल्डहोफर	3	78
29.	एमएच-46-बीएम-2841	गोल्डहोफर	3	78
30.	एमएच-46-बीएम-2842	गोल्डहोफर	3	78
31.	एमएच-46-बीएम-2843	गोल्डहोफर	3	78
32.	एमएच-46-बीएम-2845	गोल्डहोफर	4	104
33.	एमएच-46-बीएम-2846	गोल्डहोफर	4	104
34.	एमएच-46-बीएम-2847	गोल्डहोफर	4	104
35.	एचआर-38एएफ-1243	गोल्डहोफर	4	104
36.	एचआर-38एएफ-2618	गोल्डहोफर	4	104
37.	एचआर-58डी-5414	गोल्डहोफर	6 स्प्लिट	156
38.	एचआर-58डी-9642	गोल्डहोफर	6	156
39.	एचआर-58ई-2802	गोल्डहोफर	6	156
40.	एचआर-38जेड-7506	टी II	6	156
41.	एचआर-38जेड-5114	टी II	4	104
42.	एचआर-38एबी-4422	टी II	4	104
43.	एचआर-38एबी-9745	टी II	6	156
44.	एचआर-38ई-6367	टी II	6 स्प्लिट	156

45.	एचआर-38ई-9822	टी II	4 स्प्लिट	104
46.	एचआर-55क्यू-9901	गोल्डहोफर	6	156
47.	एचआर-55क्यू-9902	गोल्डहोफर	8	208
48.	एचआर-55क्यू-9903	गोल्डहोफर	6	156
49.	एचआर-55क्यू-9904	गोल्डहोफर	8	208
50.	एचआर-55पी-6278	गोल्डहोफर	6	156
51.	एचआर-55पी-6279	गोल्डहोफर	4	104
52.	एचआर-55पी-6281	गोल्डहोफर	4	104
53.	एचआर-55पी-6280	गोल्डहोफर	6	156
54.	एचआर-55पी-6282	गोल्डहोफर	8	208
55.	एचआर-55एएल-2610	गोल्डहोफर एसपीएमटी	6	156
56.	एचआर-55एएल-1865	गोल्डहोफर एसपीएमटी	6	156
57.	डीडी-01एल-9685	गोल्डहोफर एसपीएमटी	6	156

4. यान और भार विन्यास :- लदी हुई स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और प्रेषित माल का समग्र आयाम निम्नानुसार होगा:-

क्र. सं.	मात्रा	प्रेषित माल का नाम	अलदान धुरियों का भार मीट्रिक टन (एमटी) में	प्रेषित माल का भार मीट्रिक टन (एमटी)	वाहन का लदान भार (एमटी)	प्रति धुरी रेखा भार (एमटी)	वाहन की लदान ऊँचाई (मीटर में)	प्रेषित माल का समग्र आयाम (मीटर में)			लंबाई एवं चौड़ाई में धुरियों के युग्मन का विवरण
								लं. (मी.)	चौ. (मी.)	ऊ. (मी.)	
i	1	टीजी स्टेटर	79.20 या 79.20 और 105.6 + 149	466.26 मीट्रिक टन	545.46 या 545.46 और 720.86	22.73 या 22.73 और 22.52	6.050	10.880	5.104	4.950	12+12= 24 धुरी या 16+1/2= 24 धुरी और गर्डर पुल के साथ 16+16= 32 धुरी

5. उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है कि:-

i. अधिक आयाम वाले प्रेषित माल के परिवहन के लिए विशिष्ट मार्ग इस प्रकार होगा:-

बीएचईएल- हरिद्वार-रुड़की-मुजफ्फरनगर-मेरठ-दुहाई टोल-ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे-पलवल-मथुरा-आगरा-धौलपुर- बमोर गांव-ग्वालियर बाईपास-पनिहार टोल-मुडखेडा टोल-शिवपुरी-झांसी बाईपास-ललितपुर बाईपास-रामनगर-सागर-सुजानपुर-महाराजपुर-हिरणपुर-लिंगा-करेली-नरसिंगपुर-बकोडी-दोदवाड़ा गांव- लाखनदोन-सिवनी-नागपुर-भंडारा-सकोली-दुर्ग-भिलाई-रायपुर-सिमगा-बिलासपुर-दर्दीघाट-शक्ति-रायगढ़ टीपीपी परियोजना स्थल, छत्तीसगढ़

(ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

(iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण /राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

(iv) ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मैसर्स प्रिज्म लॉजिस्टिक्स प्रा. लि. द्वारा वहन की जाएगी।

(v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

(vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लदे हुए यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के बाद, अपने खर्च पर, अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(vii) ट्रांसपोर्टर राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं/ पुलों / अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/ व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रेलरों की आवाजाही के कारण होता है।

(viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।

(ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।

(x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।

- (xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रैलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (xii) ट्रैलरों की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- (xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।
- (xiv) ट्रैलरों और प्राइम मूवर्स के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत हैं।
- (xv) किसी यान (यानों) या अन्य पंजीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (xvi) माल के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।
- (xvii) ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि माल के परिवहन के दौरान संस्थापित वीएलटी डिवाइस (एआईएस-140 के अनुसार) सक्रिय हों।
- (xviii) ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि मार्ग में ओवरहेड संरचनाएं, आरओबी, आरयूबी, अंडरपास न हों जिससे माल की आवाजाही में ऊर्ध्वाधर बाधा उत्पन्न हो या अनुमति आरयूबी / एफओबी / ओवरपास को छोड़कर होगी जिसके लिए आवेदक ओडीसी / ओडब्ल्यूसी की आवाजाही के डायवर्जन करेगा।
- (xix) ट्रांसपोर्टर को इस मंत्रालय के दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 के पत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-35072/01/2010-एसएण्डआर(बी)पार्ट-2 के माध्यम से जारी दिशानिर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. आरटी-11042/04/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2026

S.O. 5358(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of TG Stator on Multi hydraulic suspension axles from BHEL- Haridwar, Uttarkhand to Raigarh TTP Project Site, Chhattisgarh by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. Prism Logistics Ltd. is the transporter of M/s Bharat Heavy Electricals Limited, for transportation of one TG Stator for the aforesaid movement.
2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1	GJ-12-AU-9693	Volvo (HP 520)
2	GJ-12-AU-9639	Volvo (HP 520)
3	GJ-27TF-2450	Volvo (HP 520)
4	GJ-16AW-4181	Volvo (HP 520)
5	GJ-16AW-4472	Volvo (HP 520)
6	GJ-16AW-4245	Volvo (HP 520)
7	GJ-27TF-8192	Volvo (HP 500)

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

S.N.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	GVW sanctioned/ Mentioned in RC of Trailers (in Ton)
1.	AP-31TB-6592	Goldhofer	4	104
2.	AP-31TB-6593	Goldhofer	4	104
3.	AP-31TB-6594	Goldhofer	4	104
4.	AP-31TB-6595	Goldhofer	6	156
5.	AP-31TB-6596	Goldhofer	6	156
6.	GJ-12AU-8365	Goldhofer	6	156
7.	GJ-12AU-8368	Goldhofer	6	156
8.	GJ-12AU-8364	Goldhofer	4	104
9.	GJ-12AU-8367	Goldhofer	4	104
10.	HR-39E-1549	TII	6	156
11.	HR-39E-2045	TII	6	156
12.	HR-39E-5668	TII	6	156
13.	HR-39E-6308	TII	6	156
14.	HR-39E 8059	TII	6	156
15.	HR-39E-8531	TII	6	156

16.	HR-39E-0510	TII	4	104
17.	HR-39E-7623	TII	4	104
18.	HR-39E-5748	TII	4	104
19.	HR-39E-5643	TII	2	52
20.	MH-06-AQ-8551	Goldhofer	6	156
21.	MH-06-AQ-8552	Goldhofer	6	156
22.	MH-06-AQ-8553	Goldhofer	4	104
23.	MH-06-AQ-8554	Goldhofer	4	104
24.	MH-46H-0601	Goldhofer	4	104
25.	MH-46H-0602	Goldhofer	4	104
26.	MH-46-H-0603	Goldhofer	8	208
27.	MH-46-BM-2839	Goldhofer	6	156
28.	MH-46-BM-2840	Goldhofer	3	78
29.	MH-46-BM-2841	Goldhofer	3	78
30.	MH-46-BM-2842	Goldhofer	3	78
31.	MH-46-BM-2843	Goldhofer	3	78
32.	MH-46-BM-2845	Goldhofer	4	104
33.	MH-46-BM-2846	Goldhofer	4	104
34.	MH-46-BM-2847	Goldhofer	4	104
35.	HR-38AF-1243	Goldhofer	4	104
36.	HR-38AF-2618	Goldhofer	4	104
37.	HR-58D-5414	Goldhofer	6 Split	156
38.	HR-58D-9642	Goldhofer	6	156
39.	HR-58E-2802	Goldhofer	6	156
40.	HR-38Z-7506	TII	6	156
41.	HR-38Z-5114	TII	4	104
42.	HR-38AB-4422	TII	4	104
43.	HR-38AB-9745	TII	6	156

44.	HR-38AE-6367	TII	6 Split	156
45.	HR-38AE-9822	TII	4 Split	104
46.	HR-55Q-9901	Goldhofer	6	156
47.	HR-55Q-9902	Goldhofer	8	208
48.	HR-55Q-9903	Goldhofer	6	156
49.	HR-55Q-9904	Goldhofer	8	208
50.	HR-55P-6278	Goldhofer	6	156
51.	HR-55P-6279	Goldhofer	4	104
52.	HR-55P-6281	Goldhofer	4	104
53.	HR-55P-6280	Goldhofer	6	156
54.	HR-55P-6282	Goldhofer	8	208
55.	HR-55AL-2610	Goldhofer SPMT	6	156
56.	HR-55AL-1865	Goldhofer SPMT	6	156
57.	DD-01L-9685	Goldhofer SPMT	6	156

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

No.	Quantity	Consignment Name	Unladen Weight axles in Tons (MT)	Weight of Consignment (MT)	Laden Weight of the Vehicle (MT)	Load Per Axle line (MT)	Laden Height of Vehicle (in meters)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
								L	W	H	
								(m)	(m)	(m)	
i.	1	TG Stator	79.20 or 79.20 and 105.6 + 149	466.26 MT	545.46 or 545.46 and 720.86	22.73 or 22.73 and 22.52	6.050	10.880	5.104	4.950	12+12= 24 Axle or 16+1/2= 24 Axle and 16+16= 32 Axle with Girder Bridge

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

- i. The specific route for transportation of these over dimensional consignments will be :
 BHEL- Haridwar-Roorkee-Muzaffarnagar-Meerut-Duhai Toll-Eastern Peripheral Expressway-Palwal-Mathura-Agra-Dholpur- Bamore Village- Gwailor Bypass- Panihar Toll- Mudkheda Toll- Shivpuri- Jhansi Bypass- Lalitpur Bypass- Ramnagar- Sagar- Sujanpur- Maharajpur- Hiranpur- Linga- Kareli- Narsingpur- Bakori- Dodwara Village- Lakhandon- Seoni- Nagpur- Bhandara- Sakoli- Durg- Bhilai- Raipur- Simga-Bilaspur- Darrighat- Shakti- Raigarh TPP Project Site, Chhattisgarh
- ii. Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf.
- iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s Prism Logistics Pvt. Ltd.
- v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make arrangements at their cost, after obtaining the permission from the concerned Authorities, to cross the rivers/drains.
- vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.
- xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state/UT of Gujarat, Andhra Pradesh, Maharashtra, Haryana and UT of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

- xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.
- xvii. The transporter must ensure that the installed VLT Devices (as per AIS-140) are activated during transit of the consignment.
- xviii. The transporter must ensure that the route does not have overhead structures, RoBs, RuBs, underpasses causing vertical constraint to the subject movement or the permission will be excluding the RUBs/FOBs/Overpasses for which the transporter shall make diversions for movement of ODCIOWC.
- xix. The transporter must adhere to the guidelines by this Ministry vide letter RW/NH-35072/01/201 0-S&R(B)PT-2 dated 27th October, 2025.

[F. No. RT-11042/04/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.